पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): U74899DL1951NPL001947
पंजीकृत कार्यालयः पीएचडी हाउस 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली–110016
फोन नंबरः 91–11–49545454
वेबसाइटः www.phdcci.in ईमेल आईडीः managingcommittee@phdcci.in

120वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ईमेल अपडेट

यह सूचना दी जाती है कि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ("**चेंबर**") के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक ("**एजीएम**") **गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को शाम 5:45 बजे (IST) भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001** में हाइब्रिड मोड (अर्थात, दोनों फिजिकल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 और 09/2024 के प्रावधानों के तहत होगी, जो क्रमशः 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022, 25 सितंबर 2023 और 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए थे (जिन्हे सामूहिक रूप से "**एमसीए सर्कुलर**" कहा जाता है) जिसमें इस एजीएम सूचना में दर्शाये गए विषयों को संचालित किया जाएगा।

चेंबर ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("**सीडीएसएल**") को रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("ई–वोटिंग") की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। सदस्य www.evotingindia.com पर शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन का उपयोग करके रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं।

एमसीए सर्कुलरों के अनुसार, एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनकी ईमेल आईडी चेंबर के साथ पंजीकृत है। एजीएम की सूचना चेंबर की वेबसाइट www.phdcci.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्य हाइब्रिड मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और भाग लेने का तरीका नोटिस में दिया जाएगा। हाइब्रिड मोड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

सदस्य यह ध्यान रखें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से इस एजीएम में शामिल होने की सुविधा एमसीए (MCA) के विस्तार आदेश प्राप्त होने के अधीन है। अन्यथा, वीसी के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने का विकल्प कंपनी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और इस बैठक में सदस्य केवल भौतिक मोड के माध्यम से ही शामिल हो सकते हैं और एजीएम में भौतिक रूप से उपस्थित होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः

वे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते को चेंबर के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संपर्क विवरणों के साथ PHDCCI के सीईओ व महासचिव, डॉ. रंजीत मेहता को sg@phdcci.in पर और PHDCCI की कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी, सुश्री सुनीता रावत को managingcommittee@phdcci.in पर ईमेल भेज कर पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

कृते पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
हस्ता/–
(डॉ. रंजीत मेहता)
सी.ई.ओ एवं महासचिव

स्थानः दिल्ली
तारीखः 19 सितंबर 2025

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः श्रीनिवास टॉवर, पहली मंजिल, दरवाजा नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेयनामपेट, चेन्नई–600018
मुख्य कार्यालयः लेवल 3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रावधानों के तहत **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर **16 एवं 17 सितम्बर, 2025** को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

[प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।]

कर्जदार का नाम एवं पता

लैन नंबर– SLPHUDIP0000203
1. श्री मोहम्मद अली पुत्र लियाकत अली (कर्जदार)
401, फारुख आजम नगर, मुल्लातालाल, गिरवा, उदयपुर (राज.) 313001
2. श्रीमती रिहाना बानो पत्नी मोहम्मद अली (सह–कर्जदार)
392, फारुख आजम नगर, मुल्लातलाल, गिरवा, उदयपुर (राजस्थान) 313001
सांकेतिक कब्जे की तिथि– 16.09.2025, एनपीए की तिथि – 04.07.2025

मांग सूचना के अनुसार देय राशि

मांग सूचना तिथि– 10–07–2025, रु. 1505944/– (रुपये पंद्रह लाख पाँच हजार नौ सौ चौवालीस मात्र) दिनांक 09–जुलाई–2025 तक ऋण खाता संख्या SLPHUDIP0000203 के संदर्भ में तथा अब तक उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।

बंधक संपत्ति का विवरण

भूखंड क्रमांक 401, फारुख आजम नगर, ओटीसी स्कीम, मुल्लातलाई, गिरवा, उदयपुर (राजस्थान) 313001 में स्थित, संपत्ति का क्षेत्रफल– 462.6 वर्ग फुट। सीमा– उत्तर– प्लॉट संख्या 409, दक्षिण– रास्ता, पूर्व– प्लॉट संख्या 400, पश्चिम– प्लॉट संख्या 402

कर्जदार का नाम और पता

ऋण संख्या SLPHSNGR0000048
1. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री मंगथू राम (कर्जदार)
2. श्री नीरज टोपिया पुत्र मंगथू राम (सह–कर्जदार)
3. श्री ऋण कुमार टोपिया पुत्र दिनेश कुमार टोपिया (गारंटर)
4. श्री दिनेश कुमार टोपिया पुत्र मंगथू राम (गारंटर)
सभी का पता– सी–64, कृष्णा विहार, मीनावाला, पंच्यावाला, जयपुर (राजस्थान) 302034, सांकेतिक कब्जे की तिथि– 17.09.2025, एनपीए की तिथि– 04.07.2025

मांग सूचना के अनुसार देय राशि

मांग सूचना तिथि – 10–07–2025, रु. 1389863/– (रुपये तेरह लाख नवासी हजार आठ सौ तिरेसठ मात्र) दिनांक 09–जुलाई–2025 तक ऋण खाता संख्या SLPHSNGR0000048 के संदर्भ में तथा अब तक उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।

बंधक संपत्ति का विवरण

भूखंड संख्या सी–64, कृष्णा विहार–सी, मीनावाला, सिरसी रोड, जयपुर (राजस्थान) में स्थित। संपत्ति का क्षेत्रफल–125.00 वर्ग गज। सीमा– उत्तर– अन्य, दक्षिण– रोड 20 फीट, पूर्व– अन्य की भूमि, पश्चिम–भूखंड संख्या सी–65

कर्जदार का नाम और पता

ऋण संख्या STUHJIPR0000605
1. श्री श्रवण सिंह राठौर, पुत्र केशर सिंह राठौर (कर्जदार)
2. श्री हरि सिंह राठौड़ पुत्र केशर सिंह राठौड़ (सह–कर्जदार)
3. श्रीमती ओम कंवर (सह–कर्जदार)
4. श्री विजय सिंह राठौर पुत्र केशर सिंह राठौर (सह–कर्जदार)
सभी निवासी– ए–59, शिव विहार कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर (राजस्थान) 302012, सांकेतिक कब्जे की तिथि– 17.09.2025, एनपीए की तिथि– 04.07.2025

मांग सूचना के अनुसार देय राशि

मांग सूचना तिथि– 10–07–2025
रु. 612289/– (रुपये छह लाख बारह हजार दो सौ नवासी मात्र) दिनांक 08–जुलाई–2025 तक ऋण खाता संख्या STUHJIPR0000605 के संदर्भ में तथा अब तक उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।

बंधक संपत्ति का विवरण

आवासीय मकान पट्टा संख्या 76, स्कीम शिव विहार कॉलोनी, ग्राम– खातीपुरा, जोतवाड़ा, जयपुर, (राजस्थान) में स्थित।
संपत्ति का क्षेत्रफल– 196.44 वर्ग गज। सीमा– उत्तर– भंवर सिंह का मकान, दक्षिण– सड़क 30 फीट, पूर्व– रास्ता 10 फीट, पश्चिम– गांधी देवी का मकान।

स्थान : जयपुर एवं उदयपुर
तिथि : 17.09.2025
ह./–अधिकृत प्राधिकारी–ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth Q&As with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLLADPR00518986 1. आलोक गुप्ता प्रोपराइटर मेसर्स तिरुपति बालाजी ओवरसीज 2. अनुराधा गुप्ता 3. सजल गुप्ता	पूरी दूसरी मंजिल के सभी भाग और खंड, छत के अधिकार सहित, संपत्ति बेअरिंग नंबर एस–382, ब्लॉक–एस में स्थित, 204 वर्ग गज की जमीन पर निर्मित है, जिस पर एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें दूसरी मंजिल शामिल है, ग्रेटर कैलाश–1 नामक कॉलोनी में, नई दिल्ली, दिल्ली राज्य के याकूतपुर गांव के लेआउट प्लान में है, पानी और बिजली कनेक्शन के साथ–साथ उसके नीचे की भूमि पर सभी स्वामित्व अधिकार, जिसमें सुख–सुविधाएं और विशेषाधिकार शामिल हैं।	03.09.2025	रु. 1,84,31,562.93/- (रुपए एक करोड चौरासी लाख इकतीस हजार पांच सौ बासठ और तिरानवे पैसे मात्र) 09.09.2025 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HLLAMOR00514744 1. गोरा रानी (सह–उधारकर्ता स्वर्गीय हीरा लाल की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)	निजी प्लॉट नंबर 6, जिसका कुल क्षेत्रफल 124.10 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 167–बी 183/1–ए का भाग, वाकया मौजा भदौरा महावीर कॉलोनी, भोला कॉलोनी के पास, तहसील और जिला मुरादाबाद–244001, उत्तर प्रदेशें।	03.01.2025	रु. 23,09,928.18/- (रुपए तेईस लाख नौ हजार नौ सौ अट्ठाईस और अठारह पैसे मात्र) 03.09.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : दिल्ली/मुरादाबाद
प्राधिकृत अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद

9/2–ए, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद–211002

प्रपत्र संख्या 13

(ऋण वसूली एवं शोधन क्षमता अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 37, 38, 52 (1) एवं (2) के अंतर्गत बिक्री की घोषणा।)

(डीआरसी संख्या 173/2020) एवं (डीआरसी संख्या 174/2020)

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

बनाम

1. मेसर्स गुरुजी एसोसिएट इसके प्रोपराइटर श्री अरविंद गुप्ता के माध्यम से, एक एकल स्वामित्व वाली फर्म, जो नवीन मंडी स्थल, एटा–207001, उत्तर प्रदेश में स्थित।
2. मेसर्स करण कुमार एंड संस इसके प्रोपराइटर श्री भूदेव गुप्ता के माध्यम से, एक एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म, जो नवीन मंडी स्थल मंडी स्थल, एटा–207001, उत्तर प्रदेश में स्थित।
3. श्री अरविन्द गुप्ता पुत्र श्री राम दीन गुप्ता निवासी मकान नं. लालपुर, आगरा रोड चुंगी एटा 207001, उ.प्र.
4. श्री भूदेव गुप्ता पुत्र श्री राम दीन गुप्ता निवासी मकान नंबर लालपुर, आगरा रोड चुंगी एटा–207001, उ.प्र.
5. श्रीमती. सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भूदेव गुप्ता निवासी मकान नंबर लालपुर, आगरा रोड चुंगी, एटा–207001, उत्तर प्रदेश।

बिक्री उद्घोषणा

1. **उद्घोषणा की तिथिः** 16.09.2025
2. **नीलामी बिक्री की तिथि और समयः** 18.10.2025, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तार सहित।
3. **ईएमडी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथिः** 06.10.2025

जबकि मेसर्स करण कुमार एंड संस पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2020 के अनुसार 17.07.2019 से मासिक रूप से कम्पाउंडेड 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित रु. 1,98,76,033.21/– (रुपये एक करोड़ अट्ठानवे लाख छिहत्तर हजार तैंतीस और इक्कीस पैसे मात्र) की राशि और वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय ब्याज और लागत का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

जबकि **मेसर्स गुरुजी एसोसिएट्स** पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2020 के अनुसार 17.07.2019 से मासिक रूप से कंपाउंडेड 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित **रु. 97,05,825.33/–** (रुपये सत्तानवे लाख पांच हजार आठ सौ पच्चीस और तैंतीस पैसे मात्र) की राशि और वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय ब्याज और लागत का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

और जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए **''जैसा है जहां है, के आधार पर''** नीचे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र देनदारों की कुर्क संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

बिक्री नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ऊपर नामित प्रमाणपत्र देनदारों की संपत्ति की होगी और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

बिक्री में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में कोई हित प्राप्त करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति (संपत्तियों) को अधिवक्ता आयुक्त/प्रमाणपत्र धारक के नोडल अधिकारी द्वारा ई–नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और बोली 18.10.2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ वेबसाइट **https://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी।

बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः

संपत्ति अनुसूची में निर्दिष्ट भूखंडों में बिक्री के लिए रखी जाएगी। यदि प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है, तो शेष राशि की बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी।

बिक्री तब भी रोक दी जाएगी, यदि किसी भूखंड को बेचने से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को जमा कर दी जाती है या इस संतुष्टि का प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत की राशि अधोहस्ताक्षरी को चुका दी गई है।

1. प्रमाणपत्र धारक द्वारा प्रदान की गई संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण, अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. बोली प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। बोलीदाता की यह पूरी जिम्मेदारी है कि वह उक्त डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और बोली में भाग लेने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर टर्मिनल/सिस्टम प्राप्त करे। ऑनलाइन बोली के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और कनेक्टिविटी से संबंधित कोई भी समस्या बोली लगाने वाले की पूरी जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. आरक्षित मूल्य, जिसके नीचे संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी, अनुसूची में नीचे उल्लिखित है।
4. बोली की राशि **रु. 50,000/– (या इसके गुणज में)** बढ़ाई जाएगी। बोली की राशि या बोलीदाता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, लॉट को तुरंत पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट/इकाई का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह/वे बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हों और यह भी कि उनके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना अवांछनीय हो, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर निर्भर होगा।
6. प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य की 10% जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के रूप में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से **ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, खाता संख्या 199104000000019, आईडीबीआई बैंक, शाखा एम.जी. मार्ग, इलाहाबाद, आईएफएससी IBKL0000199** में दिनांक **06.10.2025 को शाम 5:00 बजे तक** जमा करनी होगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं के मामले में उक्त जमा राशि समायोजित की जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही के समापन पर, उचित पहचान के बाद, ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उनके खाते में वापस भेज दी जाएगी। यह प्रमाण पत्र धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह ई–नीलामी बिक्री की तारीख से सात दिनों (छुट्टियों को छोड़कर) के भीतर प्रत्येक असफल बोलीदाता के शपथ पत्र, लेनदेन और खाते (जिसमें से ईएमडी स्थानांतरित/भुगतान किया गया था) का विवरण दाखिल करे, ताकि असफल बोलीदाताओं की उक्त ईएमडी राशि वापस भेजने का आदेश पारित किया जा सके और राशि संबंधित मूल खातों में भेजी जा सके।
7. विधिवत भरा हुआ ई–नीलामी ईएमडी फॉर्म (ईएमडी फॉर्म इस बिक्री की घोषणा के साथ संलग्न है), आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते के प्रमाण और ईएमडी जमा रसीद (सभी प्रतियाँ स्व–सत्यापित) की प्रतियों के साथ, एक सीलबंद लिफाफे में, हाथ से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से **श्री सोमनाथ पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक (विधि), एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, गुलाब भवन, भूतल, 6 बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली–2, मोबाइल नंबर 9310110525 को 06.10.2025 को शाम 5:00 बजे तक** जमा करना होगा। लिफाफे पर बोलीदाता का नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर और डाक पता अवश्य लिखें।
8. ईएमडी प्राप्त होने पर, बोलीदाता को उनकी ई–मेल आईडी के माध्यम से उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे वे सेवा प्रदाता, अर्थात ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
9. बोलीदाताओं को सभी सूचनाएँ सेवा प्रदाता/नोडल अधिकारी द्वारा ई–मेल के माध्यम से दी जाएँगी। ई–मेल भेजने की तिथि को सूचना की तिथि माना जाएगा। यदि कोई सूचना नहीं पहुँचती है, तो बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा प्रदाता/नोडल अधिकारी से स्थिति जानने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करें। सूचना न मिलने को भुगतान न करने/चूक का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। सेवा प्रदाता और नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण निम्नानुसार हैः
सेवा प्रदाताः ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) राम शर्मा –8000023297, संपर्क संख्याः 079–68136880/68136837 मो.: +91 9265562821/18 ईमेलः support@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, https://drt.auctiontiger.net/ नोडल अधिकारीः श्री सोमनाथ पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी), एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, गुलाब भवन, भूतल, 6 बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली–2, मोबाइल नंबरः 9310110525.
10. इच्छुक पक्ष प्रमाणपत्र धारक के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात **श्री सोमनाथ पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक (कानूनी), एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, गुलाब भवन, भूतल, 6 बहादुरशाह जफर मार्ग, दिल्ली–2, मोबाइल नंबर** 9310110525 के परामर्श से किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच साइट पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
11. कोई भी बोलीदाता ऑनलाइन नीलामी में बोली लगाना शुरू कर सकता है। ऑनलाइन नीलामी के दौरान सिस्टम में आने वाली पहली ऑनलाइन बोली नीलामी के आरक्षित मूल्य के बराबर या नीलामी के आरक्षित मूल्य से एक वृद्धि द्वारा अधिक हो सकती है जो कि **रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार)** है या नीलामी के आरक्षित मूल्य से **रु. 50,000/– (रुपए पचास हजार)** की वृद्धि के गुणकों द्वारा अधिक हो सकती है। आउटबिड में आने वाली बाद की बोली एच1 दर से **रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार)** के एक वृद्धि मूल्य या **रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार)** के वृद्धि मूल्य के गुणकों में एच1 दर से अधिक होनी चाहिए।
बोली प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं को अपनी बोली बढ़ाने के लिए 5 मिनट की समय अवधि दी जाएगी और यदि उक्त पांच (5) मिनट के भीतर बोली में और वृद्धि नहीं की जाती है, तो नीलामी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। यदि नीलामी के दिए गए समय के अंतिम पांच मिनट के भीतर बोली में वृद्धि की जाती है, तो नीलामी का समय अतिरिक्त पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाता है ताकि अन्य बोलीदाता अपनी बोलियां बढ़ा सकें और यदि विस्तारित पांच मिनट के भीतर कोई और वृद्धि नहीं की जाती है तो नीलामी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
12. चल संपत्ति के मामले में, प्रत्येक लॉट की कीमत बिक्री के समय या बिक्री अधिकारी के निर्देशानुसार शीघ्र भुगतान की जाएगी और भुगतान न करने पर संपत्ति को तुरंत पुनः बेच दिया जाएगा।
13. अचल संपत्ति के मामले में, सफल/उच्चतम बोलीदाता घोषित किए गए व्यक्ति को बिक्री राशि (ईएमडी घटाकर) का 25% इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से उसी दिन **ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खाता संख्या 199104000000019 आईडीबीआई बैंक, शाखा एम.जी. मार्ग, इलाहाबाद, आईएफएससी IBKL0000199** में जमा करना होगा।
14. क्रेता को बिक्री राशि का 75% शेष राशि, 2% (अधिकतम रु. 1000/– तक) की दर से पाउंडेज शुल्क और शेष राशि पर 1% की दर से, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा, ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के खाता संख्या 199104000000019, आईडीबीआई बैंक, शाखा एम.जी. मार्ग, इलाहाबाद, आईएफएससी **IBKL0000199** में संपत्ति की नीलामी बिक्री की तिथि से 15वें दिन के भीतर जमा करना होगा, जिसमें उस दिन को छोड़कर, और यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश का दिन हो, तो 15वें दिन के बाद के पहले कार्यदिवस को जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। यदि हस्ताक्षरकर्ता उचित समझे तो बिक्री के व्ययों को चुकाने के पश्चात जमा राशि भारत सरकार के पास जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता को संपत्ति या उस राशि के किसी भाग पर सभी दावे जब्त कर लिए जाएंगे जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
15. उच्चतम बोलीदाता का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार/स्वामित्व नहीं होगा जब तक कि वसूली अधिकारी, डी.आर.टी. इलाहाबाद द्वारा बिक्री की पुष्टि नहीं कर दी जाती। वसूली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित या रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
16. असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी की राशि सीधे मूल खाते में वापस कर दी जाएगी, अर्थात वह खाता जिससे ईएमडी का भुगतान/प्रेषण किया गया था और ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
17. निर्धारित समय और तिथि के बाद प्राप्त ईएमडी को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी के लिए भुगतान की गई राशि पिछले पैराग्राफ में बताए अनुसार सीधे मूल खाते में वापस कर दी जाएगी।
18. बोली प्रपत्र में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/